रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 1987/अग्रहायण 20, 1909
No. 244] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1987/AGRAHAYANA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 235-आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली 11 दिसम्बर, 1987

विषय :—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिये आयात-निर्यात नीति।

फा.सं. 6/35/17-ई पी सी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आईटी सी (पी एन)/85-88 दिनांक, 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1985—मार्च 1988 के लिये यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किये जायेंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	222	परिशिष्ट-13 पैरा-12	पैरे 12 के अंतिम उप-पैरे को निम्न प्रकार से संशोधित किया जायेगा :— "(क) पूंजीकृत निर्यातकों को निम्नलिखित विकल्प होंगे :— (1) जारी किये गये अग्रदाय लाइसेंस 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के

1	2	3	4
			व्युत्क्रमानुपाती में निर्धारित निर्यात आभार पर होंगे, अर्थात् यदि अग्रदाय लाइसेंस 50 रु. (लागत-बीमा-भाड़ा) के लिये जारी किया गया है तो जहाज पर निःशुल्क लदान मूल्य का निर्यात आभार 100 रु. होगा। लेकिन ऐसे लाइसेंसों के मद्दे वास्तविक निर्यात आभार का निर्धारण लगाये गये निर्यात आभार को मुक्त करते समय परिशिष्ट-17 में अनुरूप निर्यात उत्पाद की आयात प्रतिपूर्ति हकदारी के साथ होगा। अथवा (2) जारी किये गये अग्रदाय लाइसेंस 65 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के व्युत्क्रमानुपाती में निर्धारित निर्यात आभार के साथ होंगे, अर्थात् यदि 65 रु. (लागत-बीमा-भाड़ा) के लिये एक अग्रदाय लाइसेंस जारी किया गया है तो जहाज पर निःशुल्क लदान मूल्य का निर्यात आभार 100 रु. होगा। आवेदक को यह अपेक्षित होगा (क) 65 रु. लागत-बीमा-भाड़ा आयात के मद्दे 100 रु. का निर्यात आभार प्राप्त करना; और (ख) प्रति कैरट वसूली को प्राप्त करना जो कि परिशिष्ट-17 में विनिर्दिष्ट दरों के संदर्भ में 65 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिपूर्ति दर के लिये उनको हकदार बनायेगी। यदि निर्यात वसूली 65% प्रतिपूर्ति दर बराबर से से कम है तो निर्यात आभार को पूरा करने में कमी होगी। तब पार्टी लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिये दण्ड की भागीदार होगी। इन शर्तों के साथ-साथ वास्तविक निर्यात आभार का निर्धारण ऐसे लाइसेंसों के मद्दे लगाये गये निर्यात आभार को मुक्त करते समय परिशिष्ट-17 में अनुरूप निर्यात उत्पाद की आयात प्रतिपूर्ति हकदारी के संदर्भ में में होगा।"
2.	223	परिशिष्ट-13 उप-पैरा 14(4)	वर्तमान उप-पैरे 14(4) को निम्न-प्रकार संशोधित किया जायेगा कः— "(4) पैरे 12(क) में निर्यातकों को उपलब्ध विकल्प यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस स्कीम पर भी लाइसेंस के लिये निर्यात आभार पूरा करने के लिये अनुमित अवधि की गणना मासिक निरीक्षण के रिलीज पर आधारित लाइसेंस पर किये गये प्रत्येक पृष्ठांकन के संबंध में आयात के प्रथम प्रेषण की निकासी की तिथि से अथवा प्रथम प्रेषण के आयात की तिथि से 30 दिन, इसमें से जो भी पहले आये, चार मास होगी। लाइसेंस पर निर्धारित निर्यात आभार के पहले ही पूरा कर दिया जाने की स्थिति को छोड़कर निर्यात आभार के रिडेम्पशन पर निर्धारित निर्यात आभार अवधि की समाप्ति पर ही विचार किया जायेगा।"

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 225-आई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 6-11-1987 द्वारा यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-17 के निर्यात उत्पाद वर्ग टी.2.1 से टी.2.8 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। 6-11-1987 से पहले जारी किये गये अग्रदाय लाइसेंसों/अग्रदाय डी टी सी लाइसेंसों में मद्दे कटे और पालिश किये हुए हीरों के निर्यात के संबंध में आयात प्रतिपूर्ति दरें वे होंगी जो कि उक्त सार्वजनिक सूचना सं. 225-आई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 6-11-1987 को जारी होने की तिथि से पहले लागू थी।

4. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किये गये हैं।

ह./-

(राजीव लोचन मिश्र)
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

मंजुला सुब्रह्मणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 235-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 11th December, 1987

Subject :—Import and Export Policy for April 1985—March 1988

F. No. 6/85/87-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March, 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985, as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

S. No.	Page No. of Import & Export Policy 1985-88 (Volume-I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	222	Appendix 13 Para 12	The last Sub-para of para 12 shall be amended as under :— "(A) The Reistered Exporters will have the following options :— (i) The Imprest Licence as issued will be with an Export Obligation fixed in the inverse ratio of 50% replenishment i.e., if the Imprest Licence is issued for (c.i.f.) Rs. 50, f.o.b. value of Export Obligation will be Rs. 100/-. The actual export obligation will, however, be determined with reference to the Import Replenishment entitlement of the corresponding export product in Appendix 17, while redeeming the export obligation imposed against such licences. Or (ii) the Imprest Licences issued will be with an Export Obligation fixed in the inverse ratio of of 65% replenishment i.e. if an Imprest Licence is issued for (c.i.f.) Rs. 65, the f.o.b. vaiue of export obligagation will be Rs. 100/-. The applicant will be required to (a) achieve an export obligation of Rs. 100/- against Rs. 65/- c.i.f. import and (b) achieve a per carat realisation which will entitle him to a minimum replenishment rate of 65% with reference to the rates specified in Appendix 17. In case the export realisation is equivalent to less than 65% replenishment rate there would be a shortfall in fulfilment of export obligation. The party would then be liable to penalties for violation of the conditions of the licence. Subject to these conditions, the actual export obligation will be determined with reference to the import replenishment entitlement of the corresponding export product in Appendix 17, while redeeming the export obligation imposed against such licences."
2.	223	Appenix 13 Sub para 14(4)	The existing sub-para 14 shall be amended as under :— "(4) The options available to exporters in para 12(A) shall apply, mutatis mutandis, to this scheme also. The period allowed for fulfilment of export obligation for an Imprest DTC licence will be calculated in respect of each endorsement made on the licences based on release of monthly sights and will be four months from the date of clearance of the first consignment of import or 30 days from the date of import of the first consignment, whichever is earlier. Redemption of export obligation will be considered after the expiry of the prescribed export obligation period unless the export obligation prescribed on the licence has been fulfilled earlier."

3. Attention is also invited to Export Product Group P. 2.1 to P. 2.8 in Appendix 17 of the Import & Export Policy, 1985-88 (Vol. I), as amended vide Ministry of Commerce Public Notice No. 225-ITC (PN)/85-88, dated 6-11-1987. In respect of export of cut and polished diamonds made against Imprest Liences/ Imprest DTC Licences issued prior to 6-11-1987, the import replenishment rates shall be those which were applicable prior to to the issue of the said Public Notice No. 225-ITC (PN)/85-88 dated 6-11-1987.

4. The above amendments have been made in public interest.

Sd/-

(R. L. MISRA)
Chief Controller of Imports & Export

MANJULA SUBRAMANIAM,
Jt. Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987